अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा
RMA No- 34/ 2001

14/12/2022

अपीलकर्त्ता-मो0 समीरूद्दीन

बनाम

उत्तरवादी- मो0 मजहर वगै0

-: आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वन अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान अपीलवाद विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में निष्पादित बंदोवस्ती केश नं0-03/2000-01 मु0 मजहर वगै0 बनाम् मु0 समीरूद्दीन से संबंधित मामला में दिनांक-22.06.2001 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा यह वाद श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया है जिसे दिनांक-09.06.2004 को हस्तांतरण के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता है कथन है कि वर्त्तमान प्रक्रिया चलने योग्य नही है क्योंकि संथाल परगना काश्ताकारी पूरक अधिनियम-1949 के तहत् कोई ऐसा प्रावधान नही है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्वयं की गयी बंदोवस्ती को रद्द या संशोधन करे। परन्तु विषयगत बंदोवस्ती अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की गयी है और बन्दोवस्ती केनसीलेशन के लिए विपक्षी को उच्चतर न्यायालय में अपील दायर करना चाहिए था जबकि विपक्षी बंदोवस्ती के खिलाफ कोई अपील दायर नही किया अपितु पुनः अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर किये जो नियमविरूद्ध है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। जिसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

वही विपक्षी की ओर से सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने आदेश में मौजा-ब्रम्हमपुर उर्फ जहाजकित्ता के दाग नं0-28 के रकवा- 00-01-18 धूर जमीन के अन्दर उत्तर तरफ 15 फीट चौड़ा रास्ता आम जनों के आवागमन के लिए छोड़ा गया है। किसी का रास्ता अवरूद्ध करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः निम्न न्यायालय में पारित आदेश युक्ति संगत है अतः वर्त्तमान अपील स्वीकारर्य योग्य नही है इसे खारिज करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विद्धान अधिवक्ताओं के बहस को सुना तथा अभिलेखबद्ध दस्तावेज का अवलोकन एवं बहस सुनने के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अंचल अधिकारी, पथरगामा ने स्थल जाँच प्रतिवेदन के उपरांत प्रतिवेदित किया है कि मौजा-ब्रम्हमपुर उर्फ जहाजकित्ता के दाग नं0-28 के कुल रकवा- 01-00-00 धूर गत सर्वे सेटलमेंट में परती कदीम करकर दर्ज है। इसी जमीन से सटे आवेदक का मकान है तथा प्रस्तावित (बंदोवस्त जमीन) रकवा 00-01-18 धूर जमीन पर आवेदक का सहन आवास के सामने विषयगत भूमि का उपयोग आंगन के रूप में किया जा रहा है।

विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय का बंदोवस्ती केस नं0-128/1994-95 मो0 समीरूद्दीन बनाम् रैयान मौजा-ब्रम्हमपुर उर्फ जहाजकित्ता से संबंधित केस में अंचल अधिकारी, पथरगामा ने स्थल जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होने के उपरांत मौजा-ब्रम्हमपुर उर्फ जहाजकित्ता के दाग नं0-28 के कुल रकवा-

01-00-00 धूर के अन्तर्गत 00-01-18 धूर भूमि का उपयोग आंगन के रूप में किये जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि आवेदक मो0 समीरूद्दीन, पे0-शेख कोकू के साथ मौजा- जहाजकित्ता, दाग नं0-28 के अंश रकवा 00-01-18 धूर भूमि बंदोवस्ती की स्वीकृति बंदोवस्ती केस नं0-128/1994-95 के द्वारा प्रदान की गयी। चूँकि इस वाद में पूर्व के आदेश दिनांक-31.01.2012 में स्पष्ट किया गया है कि जब विषयगत वाद अंचल अधिकारी, पथरगामा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। फलस्वरूप पूनः अंचल अधिकारी, पथरगामा से जाँच करवाना उचित नही है।

अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केस नं0-128/1994-95 मो0 समीरूद्दीन बनाम् रैयान मौजा-ब्रम्हमपुर उर्फ जहाजकित्ता में पारित आदेश के आलोक में विपक्षी को उच्चतर सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था परन्तु विपक्षी ने ऐसा नही किया गया। जबकि पूर्व में एक ही संपत्ति/भूमि के बाबत एक ही पक्षकारों के मध्य एक ही न्यायलय में विवाद का निस्तारण कर वाद का अंतिम निर्णय कर अंतिम आदेश पारित किया किया। लेकिन पुनः उसी संपत्ति/भूमि के बाबत उन्ही पक्षकारों के मध्य पुनः रास्ता को लेकर उतपन्न विवाद के फलस्वरूप पुनः अनुमंडल पदाधिकारी के ही न्यायालय मे वाद दायार किया गया। इस प्रकार पुनः उक्त वाद में पारित किया गया आदेश दूसरे वाद में पक्षकारों के मध्य पारित आदेश Code of Civil Procedure 1908 Res-Judicata के तहत बाध्यकारी होगा। इस प्रकार पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, के न्यायालय में बंदोवस्ती केस नं0-03/2000-01 (मु0 मजहर वगै0 बनाम् मु0 समीरूद्दीन) दायर किया गया जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 की धारा-11 पूर्व-न्याय (Res Judicate) के प्रतिकुल है।

इसप्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय का बंदोवस्ती केस नं0-03/2000-01 (मु0 मजहर वगै0 बनाम् मु0 समीरूद्दीन) नियमसंगत नही है। अतः उक्त वाद में दिनांक-22.06.2001 को पारित आदेश खारिज किया जाता है। असंतुष्ट पक्षकार सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

14.12.2022

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

14.12.2022

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.05.20 15:01:45 +05:30
Location: 192.168.1.9